

प्रेस-विज्ञप्तिथाना सरायमीरथाने का टाप टेन अपराधी गिरफ्तार, अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद, संगीन अपराधों में आधा दर्जन से अधिकमुकदमें दर्ज

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान रोकथाम अपराध व अपराधियों के गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक- 13.07.2021 को उ०नि० अजीज खान मय हमराह द्वारा जरिये मुखबिर खास की सूचना पर थाने के टाप टेन अपराधी मो० नदीम पुत्र मो० आरिफ निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पुलिस को बताया गया कि एक अवैध असलहा है आप कहे तो चलकर साथ दे सकता हूँ इस बात पर विश्वास कर सत्य/असत्य की जाँच हेतु उसके निशादेही पर प्राइमरी पाठशाला कौरागहनी के पास बांस की खुटी में पालीथीन में छिपाकर रखा गया एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हु आ। बरामदगी के आधार पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 13.07.21 को समय करीब 19.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 100/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मो० नदीम पुत्र मो० आरिफ निवासी कौरागहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़-

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 100/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 149/15 धारा 147/148/323/504/506 भादवि थाना सरायमीर
2. मु०अ०सं० 83/15 धारा 457/380/511/307/323 भादवि सरायमीर
3. मु०अ०सं० 139/16. धारा 394 भादवि थाना सरायमीर
4. मु०अ०सं० 268/16 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना सरायमीर
5. मु०अ०सं० 93/18 धारा 392/411 भादवि थाना सरायमीर
6. मु०अ०सं० 102/18 धारा 392/411 भादवि थाना सरायमीर
7. मु०अ०सं० 110/18 धारा 307 भादवि थाना सरायमीर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० अजीज खान थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. का० हे०का० धर्मेन्द्र कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़।
3. का० विक्रम यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।
4. का० आशुतोष कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़।

थाना तरवांमारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 12.07.2021 को 1. सुभाष यादव पुत्र स्व० रामबली यादव 2. हरेन्द्र यादव पुत्र स्व० रामबली यादव 3. आकाश पुत्र स्व० चन्द्रदेव यादव 4. सुक्खु यादव पुत्र पंचम यादव 5. प्रभु यादव पुत्र संकठा यादव 6. भानू यादव पुत्र संकठा यादव 7. दीपक यादव पुत्र सुक्खु यादव 8. विनोद यादव पुत्र पंचम यादव समस्त निवासीगण ग्राम कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा एक राय होकर व लाठी डण्डा राड व फावड़ा से लैश होकर गाली गुप्ता देते हुए जमीन को कब्जा करना तथा श्यामा गिरी पुत्र सत्यदेव गिरी द्वारा गाली देने व जमीन कब्जा करने से मना करने पर

श्यामा गिरी को विनोद यादव उपरोक्त ने जान मारने की नियत से हमला कर देना जिससे फावड़ा उसके ललाट व नाक पर लगा जिससे श्यामा उपरोक्त का गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो जाना तथा उसको बचाने आये ओमप्रकाश गिरी पुत्र सुखदेव गिरी , सुनील गिरी पुत्र श्यामा गिरी को भी मार-पीट कर घायल कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 104/2021 धारा 147/148/323/504/506/307/34 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज के कुशल निर्देशन में व प्रभारी निरीक्षक तरवां स्वतंत्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.07.2021 को उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह के थाना हाजा से प्रस्थान कर मु0अ0स0 104/2021 धारा 147/148/323/504/506/307/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण के घर दबिश दिया गया तो घर पर कोई मौजूद नहीं मिले सभी घर से फरार है। पुलिस टीम इनकी तलाश में कबूतरा बाजार में मौजूद थी कि तभी मुखबिर खास आकर बताया कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हरेन्द्र यादव पुत्र रामबली व सुखू यादव पुत्र पंचम इस समय चतुरगंज बाजार में पान की गुमटी की आड़ में खड़े और कहीं भागने के फिराक में है इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम मुखबिर खास को साथ लेकर चतुरगंज के लिये चल दिये जैसे ही मन्दिर के सामने पहुंचे, गुमटी के बगल में खड़े दो व्यक्ति दिखायी दिये जिनकी तरफ मुखबिर इशारा करके हट बढ़ गया तभी पुलिस टीम द्वारा एक बारगी तेजी व तत्परता दिखाते हुए गुमटी की आड़ में खड़े दोनों व्यक्तियों को घेरकर वही पर पकड़ लिया गया। अचानक पुलिस टीम की दबिश पर दोनों सकपका गये उनसे नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम हरेन्द्र यादव पुत्र रामबली निवासी कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ तथा दूसरे ने अपना नाम सुखू यादव पुत्र पंचम निवासी ग्राम कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बताया जो मुकदमा उपरोक्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अब तक की तमामी विवेचना से अभियुक्तगण का कार्य अन्तर्गत धारा 34 भादवि का अपराध पाया गया। अतः मुकदमा उपरोक्त में धारा 34 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु.अ.स. 104/2021 धारा 147/148/323/504/506/307/34 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. हरेन्द्र यादव पुत्र रामबली निवासी कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. सुखू यादव पुत्र पंचम निवासी ग्राम कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह

थाना निजामाबाद

गैंगस्टर एक्ट में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा गैंगस्टर में वांछित चल रहे अभियुक्तों के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान के संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग में फरिहा में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 136/21 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अयूब उर्फ बाना पुत्र नोखेलाल साकिन शेखपुर हुसामपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ फरिहा चौराहे पर मौजूद है कहीं जाने की फिराक में वाहन का इन्तजार कर रहा है इस सूचना पर विश्वास करके प्र0नि मय हमराहीयान के फरिहा चौराहे से समय करीब 11.00 बजे उपरोक्त अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अयूब उर्फ बाना पुत्र नोखेलाल साकिन शेखपुर हुसामपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 35/21 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 136/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्टथाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

प्र0नि0 शिवशंकर सिंहमय हमराहीयान थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना-निजामाबाद

गैंगस्टर एक्ट में 01 नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा गैंगस्टर में वांछित चल रहे अभियुक्तों के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 14.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह मय हमराह द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों के तलाश में ग्राम शेखपुर हुसामपुर पहुंचे जहां मु0अ0सं0 136/21 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रही अभियुक्ता मुस्तरी पत्नी अयूब उर्फ बाना साकिन शेखपुर हुसामपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद मिली जिसे समय करीब 07.30 बजे नियमानुसार म0का0 ममता सिंह के अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

मुस्तरी पत्नी अयूब उर्फ बाना साकिन शेखपुर हुसामपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 35/21 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 136/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्टथाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

प्र0नि0 शिवशंकर सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़